



राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर

Rajasthan State Allied and Healthcare Council, Jaipur

C-7(A) Sulthan House, Sawai jai singh Highway, Banipark, Jaipur – 302016

Website : <https://rsahcouncil.org> , Contact : 0141-4004914 Email-id affiliation@rsahcouncil.org

क्र.पं.147/राज.स्टे.अ.हैल्थ के.कौं./मान्यता (संबद्धता शुल्क)/2025/308

दिनांक :- 30.07.2025

सचिव/निदेशक/प्रधानाचार्य

समस्त मान्यता प्राप्त राजकीय व निजी पैरामेडिकल संस्थान/महाविद्यालय
राजस्थान।

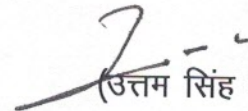
विषय :- मान्यता/संबद्धता शुल्क (Affiliation Fee) सत्र 2025-26 जमा करवाने की दिनांक
बढ़ाये जाने के संबंध में।

संदर्भ :- कौंसिल के पत्र क्रमांक 296 व 297 दिनांक 21.07.2025

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर (परिवर्तित नाम राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर) द्वारा डिप्लोमा पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों/संस्थाओं से नियमानुसार प्रतिवर्ष प्रति कोर्स/पाठ्यक्रम 25 सीट हेतु राशि 50,000/- एवं 50 सीटो हेतु 1,00,000/- तथा इससे अधिक सीट होने पर सीटो की संख्या के अनुपातिक रूप में लिये जाने एवं निर्धारित अवधि में जमा नहीं कराये जाने पर 10,000/- रुपये शास्ति राशि जमा करवाये जाने हेतु दिनांक 22.07.2025 से 31.07.2025 तक बिना विलम्ब शुल्क राशि मय जीएसटी व दिनांक 04.08.2025 तक 10,000/- (प्रति कोर्स) विलम्ब शुल्क राशि मय जीएसटी राशि सहित जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

वर्तमान में मौसम विभाग के पूर्वानुमान अनुसार राजस्थान में भारी वर्षा की संभावना को मध्येनजर रखते हुये निर्धारित दिनांक में संशोधन कर दिनांक 01.08.2025 से दिनांक 11.08.2025 तक बिना विलम्ब शुल्क राशि मय जीएसटी व दिनांक 14.08.2025 तक 10,000/- (प्रति कोर्स) विलम्ब शुल्क राशि मय जीएसटी राशि जमा करवाये जाने हेतु बढ़ाई जाती है।

शेष कौंसिल के पूर्व पत्र क्रमांक 296 व 297 दिनांक 21.07.2025 यथावत रहेंगे।


(उत्तम सिंह शेखावत)
RAS

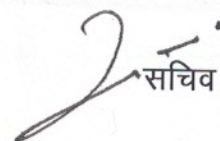
सचिव

क्र.पं.147/राज.स्टे.अ.हैल्थ के.कौं./मान्यता (संबद्धता शुल्क)/2025/308

दिनांक :- 30.07.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव, महोदया चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. लेखा/रोकड शाखा, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल (परिवर्तित नाम राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल) जयपुर।
4. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को आज ही वेबसाईट पर अलपोड करने का श्रम करें।
5. रक्षित पत्रावली।


सचिव